

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:—डॉ० अरूण गर्ग  
आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 377/2025

श्री शेरसिंह पुत्र श्री मंगला राम यादव, निवासी बडबर, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।

—प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

—अप्रार्थी

आवेदन पत्र बाबत राज० उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के निर्णय की पालना बाबत।

उपस्थित:—

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. श्री विकास कुमार, विभागीय प्रतिनिधि— अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 12.09.2025

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.08.2025 में दिये निर्देशों की पालना में निम्न प्रकार पेश किया है कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान दर्ज एस०बी० सिविल रिट पीटिशन सं 10561/2025 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2025 की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर उक्त आदेश की पालना हेतु प्रस्तुत है।


प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं ने पत्रांक अभियोग/रसद/2025/906 दिनांक 10.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि सी०बी० सिविल रिट पीटिशन संख्या 10561/2025 शेर सिंह बनाम राजस्थान सरकार की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार सादर प्रेषित है कि ग्राम पंचायत बडबर में दो उचित मूल्य दुकान शेरसिंह, पोस कोड 30833 एवं रिक्त 11404 कार्यरत है। दोनों दुकानों में से पोस कोड 30833 पर खाद्य सुरक्षा योजना की राशन कार्ड संख्या 444 एवं यूनिट 1751 तथा पोस कोड 11404 पर राशन कार्ड संख्या 456 एवं यूनिट 1778 है। इस प्रकार दोनों दुकानों पर कुल राशन कार्ड संख्या 900 तथा यूनिट 3529 है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान दर्ज एस०बी० सिविल रिट पीटिशन सं 10561/2025 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2025 की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

  
जिला कलक्टर झुंझुनूं

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। तथ्यात्मक रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ग्राम बडबर स्थित दो उचित मूल्य दुकान शेरसिंह, पोस कोड 30833 एवं रिक्त 11404 कार्यरत है। दोनों दुकानों में से पोस कोड 30833 पर खाद्य सुरक्षा योजना की राशन कार्ड संख्या 444 एवं यूनिट 1751 तथा पोस कोड 11404 पर राशन कार्ड संख्या 456 एवं यूनिट 1778 है। इस प्रकार दोनों दुकानों पर कुल राशन कार्ड संख्या 900 तथा यूनिट 3529 है। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 17 ( 9 ) )खा0वि0/विधि/2012 दिनांक 26.12.2019 व 17( 1 )खा0वि0/विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 के अनुशरण में 500 राशन कार्ड/2000 यूनिट पर अतिरिक्त दुकान के प्रावधान जारी है। उक्त दुकान पर राशन कार्ड एवं यूनिट की संख्या निर्धारित संख्या से भी कम है। प्रकरण में नियमानुसार अतिरिक्त राशन की दुकान सृजित किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बडबर स्थित उचित मूल्य दुकान श्री शेरसिंह को यथावत रखे जाने व अतिरिक्त दुकान नहीं सृजित करने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( डॉ० अरुण गर्ग )  
जिला कलक्टर, झुंझुनूं  
जिला कलक्टर झुंझुनूं